राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे –III/ दिनांक :– 16.6.2014

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
डूँगरपुर।

विषय :– स्थानांतरण निति के विरूद्व किये गये स्थानांतरण बाबत्।
प्रसंग :– आपका आदेश क्रमांक संस्था–II/लेखाकार/2014/1848 दिनांक 29.05.2014

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा श्री गंगाधर बिजारणियॉ, क0 लेखाकार को कार्य सम्पादन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गलियाकोट (डूँगरपूर) से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिखली (डूँगरपूर) में लगाया गया है। इस सम्बंध में लेख है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा सवंर्ग यथा क0 लेखाकार/लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन एवं नियंत्रण इस निदेशालय द्वारा किया जाता है। लेखाकर्मियों का स्थानांतरण राज्य सरकार वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण निति दिनांक 28.05.2010 के तहत् किये जाते है, श्री बिजारणियॉ, क0 लेखाकार का किया गया स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण निति के विरूद्व है। अतः आपका उक्त आदेश निरस्त किया जाता है।

यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिखली (डूँगरपूर) में लेखाकार/क0 लेखाकार का पद स्वीकृत है तो डूँगरपूर जिले में पदस्थापित किसी क0 लेखाकार/लेखाकार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिखली (डूँगरपूर) में अतिरिक्त कार्य करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये, ताकि नियमानुसार आदेश जारी किये जा सके।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे –III/ 3909–39013 दिनांक :– 16.6.2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीमलवाड़ा (डूंगरपुर)
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिखली (डूंगरपूर)
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गलियाकोट (डूंगरपूर)
4. श्री गंगाधर बिजारणिया, क0 लेखाकार, द्वारा कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिखली (डूंगरपूर)

(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)
16.6.14